संख्या–पी–68/14–2–2017–800 (82)/2017

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
हरदोई।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 04 अगस्त 2017

विषयः– हरदोई में बिलग्राम–उन्नाव मार्ग एस0एच0 38 के किमी0 01 से 02 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम चांदपुर बाहर परगना व तहसील बिलग्राम के गाटा संख्या–229 व 230 पर एच0पी0सी0एल0 द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.08471 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 46 पौधों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–2339/हरदोई/23174/2016 दिनांक 15–5–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में स्वीकृत निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया हुआ है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित संरक्षित वनभूमि के क्षेत्रफल के अनुसार वृक्षों/पौधों की संख्या अधिक प्रतीत होती है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी हरदोई द्वारा स्वयं मौके पर जाकर न्यूनतम प्रभावित भूमि व वृक्षों की संख्या का ऑकलन किया जाना उचित होगा।

कृपया तदनुसार विषयगत सम्पर्क मार्ग में बाधक वृक्षों की संख्या का ऑकलन कर सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

संख्या–पी–68(1)/14–2–2017–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–375/11सी–हरदोई/23174/2016, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 10, 2017

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में उ0प्र0शासन ने निर्देशित किया है कि प्रभावित संरक्षित वनभूमि के क्षेत्रफल के अनुसार वृक्षों/पौधों की संख्या अधिक प्रतीत होती है, अतः प्रभागीय निदेशक, हरदोई को निर्देशित करें कि वे स्वयं मौके पर जाकर न्यूनतम प्रभावित भूमि व वृक्षों की संख्या का ऑकलन कर सूचना/अभिलेख **तीन प्रतियों में** इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में प्रभावित संरक्षित वनभूमि के क्षेत्रफल के अनुसार वृक्षों/पौधों की संख्या अधिक प्रतीत होती है। अतः आप स्वयं मौके पर जाकर न्यूनतम प्रभावित भूमि व वृक्षों की संख्या का ऑकलन कर सूचना/अभिलेख **तीन प्रतियों में** इस कार्यालय में मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0, प्लाट नं0–1, नूहरू इन्कलेव, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।